न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 197/2004
निर्णय दिनांक :12.07.2022

उनवान

1. मनभर देवी पुत्री स्व. श्री राम सहाय बागडा पत्नी श्री हनुमान सहाय शर्मा, जाति बागडा ब्राहमण, आयु 44 वर्ष, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादिनी

बनाम

1 प्रभू पुत्र स्व. श्री राम सहाय, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2 रामनिवास पुत्र स्व. श्री रामसहाय, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

(मृतक दौराने सुनवाई)

2/1 मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री रामनिवास
2/2 राजेश पुत्र स्व. श्री रामनिवास
2/3 राहुल पुत्र स्व. श्री रामनिवास
2/4 रामजानकी पुत्री स्व. श्री रामनिवास
2/5 ममता पुत्री स्व. श्री रामनिवास
समस्त जाति बागडा ब्राहमण, समस्त निवासीयान ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3 मोहन लाल पुत्र स्व. श्री राम सहाय, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4 राम लाल पुत्र स्व. श्री राम सहाय, जाति बागडा ब्राहमण, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5 तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6 उप पंजीयक, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय, जयपुर के यहां वादिनी ने एक दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादिया के पिता श्री राम सहाय थे जिनका कि स्वर्गवास लगभग 32 साल पूर्व हो चुका है। स्व. श्री राम सहाय जी के विधिक वारिसान में उनकी धर्मपत्नी गंग[illegible] श्री मनभर व पुत्र प्रभू, रामनिवास, रामलाल, मोहन लाल है। [illegible] पिता के नाम से ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबरान 203 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 285 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 285 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 286 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, 287 [illegible] 0.0700 हैक्टेयर, 394 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, 416 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 417 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.2300 हैक्टेयर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:40:28 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

26, 2022, 18:43

440/594 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, 449 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, 451 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, 453 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 454 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, 545/649 रकबा 0.500 हैक्टेयर, 547/648 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 548 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, 655/637 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 18 कुल रकबा 3.7100 हैक्टेयर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने साज कर बिना वादिया को कोई सूचना दिये बाला बाला ही वर्ष 2001 में उक्त तमाम कृषि भूमि का नामान्तकरण सभी ने अपने नाम से 1/4 हिस्से के रूप में करा लिया। चूँकि वादिया के पिता श्री राम सहाय जी का एकपुत्र अविवाहित ही फौत हो गया उसके बाद उसके जायन्दा वारिसान में वादिया एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 शेष थे तथा उक्त कृषि भूमि का 1/6 हिस्सा वादिया के हिस्से में आना था, जिसे चारों प्रतिवादीगण ने साज कर 1/5 हिस्से प्रत्येक ने अपने नाम से नामान्तकरण करा लिये। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि बिना तकासमा उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरित, हस्तगत, बेचान आदि किसी भी प्रकार से नहीं करें।

उक्त वाद का प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर, वादिनी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात वादिनी का वाद खारिज किया गया, उसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा भी वादिनी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की गई, जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.08.2016 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को इस आशय के साथ उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, साक्ष्य व सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें, जिस पर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित न्यायालय आये तथा दिनांक 19.04.2022 को तनकीयात विरचित की गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिनी हेतु नियत की गयी। वादिनी को साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान करने की उपरान्त भी वादिनी के द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की और दिनांक 10.05.2022 को वादिनी की साक्ष्य बन्द कर दी गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा, वादिनी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा और साक्ष्य प्रतिवादीगण भी बन्द कर दी गई। दौराने सुनवाई वाद वकील वादिनी ने प्रतिवादी [illegible] देवी की मृत्यु होना जाहिर किया जिस पर प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामान पेश किया गया, जिस पर दोनों पक्षों ने कायम मुकामान प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई एतराज पेश नहीं किया। न्यायालय द्वारा कायम मुकामान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तत्पश्चात संशोधित काज ऑफ टाईटल पेश किया गया। दौराने सुनवाई वाद वकील वादिनी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत नो इंस्टेक्शन प्रस्तुत किया तथा वादिनी को प्रकरण के संबंध में सूचनार्थ रजिस्टर्ड ए. डी. की रसीद भी प्रस्तुत की गयी और वकील वादिनी की ओर से हिदायत पैरवी ना होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

से, वकील वादिनी ने प्रकरण में पैरवी करने से मना कर दिया, जिसकी सूचना वकील वादिनी ने वादिनी को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. दी, जिसकी तामील भी वादिनी को दिनांक 22.06.2022 को हो चुकी है, के बावजूद भी वादिनी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई जिसकी डिलिवरी रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई, उनके द्वारा अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादिनी ने पूर्व में ही प्रतिवादीगण के पक्ष में हक त्याग निष्पादित कर दिया था तथा उक्त हक त्याग के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का अमल दरामद हुआ है। इस कारण वादिनी का विवादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनापूर्वक मनन व अवलोकन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना में तनकीयात कायम की गई, तनकीयात कायम के पश्चात वादिनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात एवं लिखित व मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो वाद को साबित करने के लिए आवश्यक थे तथा ना ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत हक त्याग के संबंध में वादिनी ने किसी प्रकार का कोई एतराज/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया है। चूँकि वादिनी को साक्ष्य व सुनवाई का कई अवसर प्रदान किए जाने के बाद एवं वादिनी को सूचित करने के बावजूद भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आई तथा ना ही वाद के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में चूँकि वादिनी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। ऐसी सूरत में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

अतः वादिनी अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। इस कारण से वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:28 IST
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43